भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2331**

(जिसका उत्‍तर मंगलवार, दिनांक 6 दिसंबर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)

**वस्‍तु एवं सेवा कर के कार्यान्‍वयन के बाद पेट्रोलियम उत्‍पादों पर एकसमान कराधान**

2331**. श्री नारायण लाल पंचारिया :**

क्‍या **वित्‍त**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या वस्‍तु एवं सेवा कर (जी. एस. टी.) विधेयक लागू होने के बाद पेट्रोलियम उत्‍पादों पर प्रत्‍येक राज्‍य में एकसमान कर लागू हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो एकसमान कर कब से लागू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं, तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 279क (5) के अनुसार,माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिस तारीख से कच्‍चा पेट्रोलियम, उच्‍च गति डीज़ल, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्‍यत: पेट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और एवियशन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर लगने लगेगा। अभी तक, जीएसटी परिषद ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। अंतरीम अवधि में, राज्‍यों और केंद्र द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्‍पादों पर लगाए गए वर्तमान कर, नामत: राज्‍यों द्वारा बिक्री कर/मूल्‍य वर्द्धित कर (वैट) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और केंद्र द्वारा उत्‍पाद शुल्‍क बने रहेंगे।

\*\*\*\*\*